

प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक- 06.10.2026

थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय शातिर गो-तस्कर को किया गया गिरफ्तार, क्रूरतापूर्वक लादे गए 06 जीवित व 01 मृत गोवंश सहित बोलेरो पिकअप को किया गया बरामद गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.10.2026 को थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा गो-तस्करी में लिप्त 01 अभियुक्त राहुल गोड़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक बांधकर लादे गए कुल 07 पशु बरामद कर थाना चौरी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राहुल गोड़ पुत्र रामायन गोड़, निवासी- कुन्ज, थाना- भभुआ, जनपद- कैमूर, बिहार।

बरामदगी का विवरण:-

- 05 राशि गाय व 01 राशि बैल (जीवित)
- 01 राशि बैल (मृत)
- 01 अदद बोलेरो पिकअप

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 163/2026 धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता, धारा 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गौ-हत्या निवारण अधिनियम, व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना चौरी जनपद भदोही।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त राहुल गोड़ ने बताया कि मैं और मेरा साथी हाईवे के किनारे से छुट्टा पशुओं को पकड़ते थे और उन्हें क्रूरतापूर्वक पिकअप में लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पंडुआ (पश्चिम बंगाल) ले जा रहे थे। यह अवैध कार्य वे गाड़ी मालिक की जानकारी में करते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 नथुनी सिंह , उ0नि0 बाबू राम यादव, हे0का0 छत्तीस चौहान, का0 दीपक कुमार, का0 बृजेश यादव, रि0का0 बलवीर, पीआरडी रामधनी, पीआरडी जयप्रकाश थाना चौरी जनपद भदोही।